BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 20 जुलाई, 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर ़लडकी को बहला फुसलाकर ले जाने के आरोपी को 05 वर्ष का कारावास व 25,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त रंजीत सिंह पुत्र गौतम सिंह निवासी ग्राम इच्दाछावरी थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2015 में थाना डिबाई क्षेत्र निवासी एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 19.10.2015 को थाना डिबाई पर मुअसं- 543/15 धारा 363,366 भादवि व 08 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 05.11.2015 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 05 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 20.07.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे विशेष पोक्सो एक्ट बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त रंजीत को 05 वर्ष का कारावास व 25,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री सुनील शर्मा व महेश राघव का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सैल बुलन्दशहर।